भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 873

जिसका उत्तर मंगलवार, 11फरवरी, 2025/22 माघ, 1946 (शक) को दिया गया

साख-अंकीय गणना

873. श्री एस. कल्याणसुन्दरम:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) साख-अंकीय गणना को निर्धारित करने के मानदण्डों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने साख-अंकीय गणना और उनके रखरखाव के लिए किन्हीं निजी कंपनियों को प्राधिकृत किया है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समाज के वंचित वर्गों, जिन्हें सामान्यत: साख-अंक के आधार पर ऋण देने से मना कर दिया जाता है, को अंतिम चरण तक की आवश्यकताओं के लिए ऋण सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): ऋण सूचना कंपनियों (सीआईसी) द्वारा क्रेडिट स्कोर सहित ऋण सूचना रिपोर्ट (सीआईआर) उधारकर्ता की क्रेडिट हिस्ट्री के आधार पर प्रदान की जाती है जिसका उपयोग क्रेडिट सुविधाओं के मूल्यांकन के लिए ऋण संस्थानों (सीआई) द्वारा किया जाता है। सीआईसी द्वारा क्रेडिट स्कोर का निर्धारण सीआई द्वारा प्रस्तुत ऋण सूचना के आधार पर प्रोपराइटरी मॉडल के माध्यम से किया जाता है।

प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 (सीआईसीआरए) के अनुसार, सीआईसी कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और उन्हें आरबीआई द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।

सीआईसीआरए के अंतर्गत आरबीआई में पंजीकृत सीआईसी निम्नलिखित हैं-

(i) सीआरआईएफ हाइ मार्क क्रेडिट इनफॉरमेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

(ii) इक्विफैक्स क्रेडिट इनफॉरमेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

(iii) एक्सपेरियन क्रेडिट इनफॉरमेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

(iv) ट्रांसयूनियन सिबिल लिमिटेड

गैर-कारपोरेट, गैर-कृषि लघु और सूक्ष्म उद्यमों को सशक्त करने, असंगठित क्षेत्र के व्यक्तियों को संगठित करने और समाज के सीमांत वर्गों को अंतिम छोर तक ऋण सुविधा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। ऐसी योजनाओं में अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) पीएम स्वनिधि;

(ii) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना;

(iii) स्टैंट-अप इंडिया;

(iv) पीएम विश्वकर्मा; और

(v) प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम

*****